

न्यायालय श्रीमान राजस्व हुण्डल न्यायालय सर्किट कोर्ट रीवा, म०प०

श्री आर.के. शर्मा एस  
द्वारा 18/07/12



R-3329- II/12

592  
12.7.12

श्याम प्रसाद साहू तस्य स्व० जोखुराम साहू पेशा छेती निवासी ग्राम गाढ़ा  
137 तखील जवा जिला रीवा, म०प० --- आवेदक

काम

क  
क 9-12

- 1- मुन्नीलाल साहू तस्य स्व० जोखुराम साहू पेशा छेती निवासी ग्राम  
गाढ़ा 137 तखील जवा जिला रीवा, म०प०
- 2- शासन म०प० धारा जिलाध्यक्ष रीवा --- अनावेदकगण

निगरानी बिस्व आदेश तखीलदार जवा जिला  
रीवा, म०प० पृ० क्र० 4/अ-3/11-12 दिनांक  
27-6-12

=====

अन्तर्गत धारा 50 म०प० कुरा० सं०

=====

मान्यवर,

पुकरण के तथ्य इस प्रकार है-

===

श्रीमान श्रीमान  
18/7/12

1:- यह कि आवेदक एवं अनावेदक क्र०-1 सगे भाई है जिनकी  
पेट्रिक आ०क्र० 209 रक्वा 2-32५० आ०क्र० 214 रक्वा 0-56५०, एवं  
आ०क्र० 210 रक्वा 1-60५० का बटनवारा दिनांक 10-1-2012 को  
आधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रमाणित किया गया।

उभयपक्ष मुताबिक बटनवारा अने- अने हक हिस्सा मे प्राप्त  
भू-भाग पर कानिसे देखील हो कास्त करते चले आ रहे है। बटनवारा हो  
जाने के बाद अनावेदक क्र०-1 द्वारा तखीलदार तखील जवा की न्यायालय  
मे आ०क्र० 209/1 रक्वा 0-34५० एवं आ०क्र० 214/1 रक्वा 0-28५०

कुमश: 2.....


श्याम प्रसाद साहू

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर  
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

मामला क्र०-R3329-II/12

जिला-रीवा

श्याम प्रसाद साहू/ मुन्नीलाल साहू

(1)	(2)	(3)
19.07.17	<ol style="list-style-type: none"><li>1. प्रकरण प्रस्तुत।</li><li>2. आवेदक तथा उनके अधिवक्ता की पुकार करायी गयी किन्तु सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है।</li><li>3. अनावेदक क्र०01 की ओर से श्री अरविन्द सिंह एड० उपस्थित।</li><li>4. चूकि आवेदक तथा अभिभाषक सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। अतः संहिता की धारा-35(2) के तहत प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।</li><li>5. आदेश की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड वापस किया जावे, तत्पश्चात प्रकरण पंजी से समाप्त होकर दा.द. हो।</li></ol> <p style="text-align: right;"> सेदस्थ</p>	